बुलेटिन II (11 मई -- 31 मई 2020)

वनाधिकार और कोविड 19

आदिवासियों और जंगल निवासी समुदायों पर कोविड19 और लॉकडाउन का असर

इस अंक में

जमीन से उठती आवाजें

सूसन डुंगडुंग, संभलपुर, ओडिशा

फुलजेंसिया टेटे, संभलपुर, ओडिशा

राहुल श्रीवास्तव, जबलपुर, मध्यप्रदेश

माधुरी कृष्णस्वामी, बड़वानी, मध्यप्रदेश

राजिम केतवास, बलोदा बाजार, छत्तीसगढ़

रिदिका मलिक, कंधमाल, ओडिशा

प्रदीप चटर्जी, दिशा, सुंदरवन. पश्चिम बंगाल

पूर्णिमा उपाध्याय, अमरावती, महाराष्ट्र

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

vanadhikarmedia@gmail.com

वन विभाग के प्रतिपूरक वनीकरण से अपने सामुदायिक जंगलों की रक्षा करती औरतें

कोविड19 की महामारी और लॉकडाउन (24 मार्च से जारी) का आदिवासियों और अन्य जंगल वासी समुदायों पर भारी असर हुआ है। उनकी आजीविका, सेहत, आवाजाही, जंगल तक उनकी पहुँच, खाद्य सुरक्षा और अन्य बुनियादी हक-हकूकों पर गहरा असर पड़ा है। इस बुलेटिन में संचार माध्यमों में प्रकाशित आलेखों, जमीनी रिपोर्टों और विश्लेषणों के जरिए इन समुदायों की मुख्य समस्याओं को रेखांकित किया गया है।

यह अंक विभिन्न नजरियों और जमीनी स्तर पर उठने वाली आवाजों के जरिए कोविड19 महामारी और लॉकडाउन की सच्चाई को समझने की कोशिश करता है। 11 मई से लेकर 31 मई के अंतराल में उठनेवाली कुछ बड़ी समस्याएँ इस प्रकार हैं : लघु वनोपज की बिक्री के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार का अभाव, प्रवासी मजदूरों की खातिर आजीविका के उपायों का न होना, सरकारी "आत्मनिर्भरता" के पैकेज का झूठा दावा, कैंपा के पैसे का उपयोग ग्राम सभा के बदले वन विभाग द्वारा किए जाने की समस्या, ग्राम सभा की स्वायत्तता के उल्लंघन की आम प्रवृत्ति और वनों का अन्य काम के लिए इस्तेमाल और इसके साथ-साथ जंगलों के नाश, चक्रवातों और टिड्डियों के हमले के रूप में सामने आनेवाली आबोहवा के बदलाव की समस्याएँ।

छपे समाचार :

- कोविड19 लॉकडाउन टेल : केंदू लीव्स एंड साल सीड्स - द लास्ट लाइवलीहुड होप
- आदिवासी ग्रामीणों से छत्तीसगढ़ सरकार इस बार सीधे खरीदेगी 225 करोड़ रुपए के लघु वनोपज, एजेंटों की मोनोपॉली होगी खत्म
- कोरोना लॉक डाउन में, बगैर वनोपज, छत्तीसगढ़ के आदिवासी कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर?
- तेंदूपत्ता संग्राहकों ने किया हाइवे पर चक्काजाम, खरीदी न होने से थे नाराज
- लॉकडाउन जनता बुलेटिन #17 : अर्चना सोरेंग
- 44 विलेज पंचायत्स इन महाराष्ट्र ज्वाइन हैंड्स टू ऑक्शन तेंदू लीव्स, ब्रिंग हायर इनकम टू ट्राइबल विलेजर्स
- छत्तीसगढ़ परचेज्ड 98% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट प्रोड्यूस एमिड लॉकडाउन
- कोविड-19 कुड ले वेस्ट टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस वर्थ रु. 1.2 ट्रिलियन
- हाउ लॉकडाउन हैज हिट ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स

लघु वनोपजों के संग्रहण और संसाधन में औरतें प्रमुख भूमिका निभाती हैं

देवगढ़ में शाल बीजों का संसाधन करती औरतें

लघु वनोपज (एम एफ पी)

वन लक्ष्मी संघ की सदस्या सूसन डुंगडुंग, संभलपुर जिला, ओडिशा

महुआ और तेंदू पत्ता हमारी आमदनी का मुख्य जरिया हैं। कोविड19 के लॉकडाउन के चलते तेंदूपत्ता का संग्रह इस साल देरी से शुरू हुआ। देरी से ही सही, जब हम संग्रह.शुरू ही करनेवाले थे, बेमौसम बारिश ने तेंदूपत्ता की गुणवत्ता और उपलब्धता को बुरी तरह प्रभावित किया। बेमौसम बारिश के कारण तेंदू पत्ता में कीड़े भर गए और खराब पत्तों की वजह से हमें पत्तों का संग्रह रोक देना पड़ा। अब पाँच दिन बीत जाने पर हमें शायद दसवें दिन संग्रह को पूरी तरह रोक देना पड़े क्योंकि पत्तों की गुणवत्ता खराब हो चुकी है और मात्रा बहुत ही कम हो गई है। इस साल हमारी आमदनी और आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है, न तो बाजार है, न ही व्यापारी। हम हमारे समुदाय के लोगों की बुरी हालत से बेहद क्षुब्ध और चिंतित हैं। वे शहरों में फँसे हैं और वापस घर पैदल ही लौट रहे हैं। हम यहाँ कम-से-कम अपने जंगलों के बलबूते जिंदा हैं, लेकिन वे दो जून के खाने के लिए जूझ रहे हैं।

फुलजेंसिया टेटे, कुचिंडा ब्लॉक, संबलपुर जिला, ओडिशा

अब जब शाल बीज आ गए हैं, हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम को लागू करे और 20 रुपए की दर से शाल बीज खरीदे। हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस योजना पर सही-सही अमल नहीं हो रहा है।

लाइव:

केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में 23 और लघु वनोपज जोड़े गये

छपे समाचार :

- कोरोना वायरस लॉकडाउन | पैंडेमिक एड्स टू द पेन्युरी ऑफ ट्राइबल माइग्रेंट्स इन मध्य प्रदेश
- आफ्टर लॉकडाउन डिस्ट्रेस, विलेजर्स आर अनविलिंग टू माइग्रेट अगेन
- इन ओडिशाज विलेजेज, रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स स्टेयर एट सीवियर अनसर्टेनिटी
- जमलोज लास्ट जर्नी एलांग ए लॉक्ड डाउन रोड
- कोरोनावायरस लॉकडाउन | मलकानगिरी ट्राइबल माइग्रेंट डाइज ऑफ एक्झाशन
- 95% माइग्रेंट्स वांट टू रिटर्न होम डिस्पाइट अनसर्टेनिटी. सर्वे
- इज रिपरपसिंग एमजीएनआरईजीए द राईट वे फारवर्ड?
- इंडियाज पैंडेमिक रिस्पांस इज ए कास्ट एट्रोसिटी

प्रवासी मजदूर और आजीविका

राहुल श्रीवास्तव, भूमि अधिकार अभियान / जल जंगल जमीन साझा मंच, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जब लॉकडाउन की घोषणा की गई मध्यप्रदेश सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की संख्या के बारे में कोई भी प्राथमिक आँकड़ा नहीं था, न ही वह उनके लिए कोई योजना बनाने की ओर तत्पर थी। इसलिए हमने विभिन्न जिलों के अन्य जमीनी संगठनों के साथ संपर्क साधना शुरू किया जिससे एक सर्वे किया जाए और घर वापस लौटनेवाले प्रवासी मजदूरों की संख्या का अंदाजा लगाया जाए। इससे हमें पता चला कि लभगभ दो लाख मजदूर वापस लौट आए हैं और अन्य दो लाख वापसी की बाट जोह रहे हैं। और गहरी पड़ताल से यह मालूम हुआ कि आदिवासियों और दलितों की आबादी (वे मध्यप्रदेश की कुल सात करोड़ की आबादी का 36 प्रतिशत हैं) में लगभग 14 लाख प्रवासी मजदूर हैं। उनमें से ज्यादातर एससी / एसटी हैं। और संगठनों से पूछताछ करने पर पता चला कि उनमें से दो लाख अभी वापस नहीं लौटे हैं। वे कहाँ हैं? क्या वे बँधुआ मजदूर हैं? इन लोगों को लेकर राजनीतिक मुहिम चलाना जरूरी था।

इन संख्याओं में लोगों की जिंदगी की असली दास्तान छिपी थी। मिसाल के लिए, मंडला निवास की संगीता मारावी जबलपुर में अपने पति विश्राम सिंह के साथ निर्माण मजदूरी करती थी। जब लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई तो वे अपने दो बच्चों के साथ धंगनवा-रामपुरी के लिए पैदल ही निकल पड़े। यात्रा के दौरान रात में उसे प्रसव-पीड़ा शुरू हो गई और उसने जंगल में ही बच्चे को जन्म दिया। सौभाग्य से अगले दिन वे सुरक्षित पड़ोस के गाँव में पहुँच गए। आज ही मैं बरेला बाईपास पर औरतों के एक समूह से मिला जो मुंबई से नागपुर ट्रेन सेआई थीं और वहाँ से पैदल 300 किलोमीटर चली थीं। उनका सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए अभी और चलना था।

राम सिंह और 9 अन्य मजदूरों की कहानी अलग है। वे बालखेड़ा से पैदल चलते हुए पथ नारायणगंज पहुँचे थे। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने धीरे से बताया कि "रास्ते में लोग हमारी मदद कर रहे थे। शहरी लोग थे। लेकिन उन्होंने हमारे-जैसे बड़े समूह के लिए खाने का सिर्फ एक पैकेट दियाऔर वे हमारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। आप तो जानते हैं हमारे गाँव और जंगल में हमारे पास जो थोड़ा बहुत होता है उसे दे देते हैं और आपस में बाँट लेते हैं।" मैंने उनसे पूछा कि वे भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं तो उन्होंने जवाब दिया "जब हम शहर नहीं जाते थे, अपने जंगलों में खुश रहते थे। उससे थोड़ा बहुत जो भी मिलता उसी से काम चला लेते थे। अब तो हम जंगल भी जा नहीं सकते। वन विभाग के लोग हमें मारते-पीटते हैं। हमें हमारे जंगल पर हक मिलना चाहिए। हमें भीख में मिला यह खाना नहीं चाहिए। हम अपने चावल, ज्वार-बाजरा, साग-सब्जियों, मिर्च से काम चला लेंगे, जिन्हें हम जंगली जमीन पर उगाते रहे हैं।"

माधुरी कृष्णस्वामी, जाग्रत आदिवासी दलित संगठन, बड़वानी, मध्यप्रदेश

दक्षिणी मध्यप्रदेश से पलायन के स्वरूप में बदलाव दिखाई देता है। पहले सभी लोग खेतिहर मजदूर के रूप में प्रवास करते थे। लेकिन अब कुछ लोग उद्योग-धंधों में काम करने के लिए बाहर जाते हैं। उनमें से कुछ उतने सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ आदिवासी मजदूरों के साथ खास तौर पर बुरा बरताव होता है। लॉकडाउन के कारण वापस लौटते प्रवासी मजदूरों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हालाँकि सरकार ने राशनकार्ड को दरकिनार करते हुए सभी के लिए राशन की सप्लाई की योजना चलाई है पर लोगों को पूरा राशन नहीं मिल रहा। इसके साथ ही लोगों को घर वापस लौटने के लिए काफी धन खर्च करना पड़ रहा है और गाँवों में उनकी आजीविका का कोई जरिया नहीं है। मनरेगा की योजना वर्षों से खतरे में पड़ी है। उसके तहत कोई काम नहीं मिलता या महीनों तक काम का भुगतान नहीं होता। याद रखना चाहिए कि इनमें से कई मुद्दे नए नहीं हैं, लेकिन कोविड19 इन "पुराने रोगों" को और वर्षों से समुदायों के सामने आनेवाली समस्याओं को फिर से जिंदा कर दिया है। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला में जंगल थोड़े बहुत ही बचे हैं और उनमें भी वनाधिकार का कोई नामोनिशान नहीं है। इसी वजह से जंगल निवासी समुदायों को काम के लिए बाहर प्रवास करना पड़ता है।

जंगल का अन्य इस्तेमाल और प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम (कैंपा)

राजिम केतवास, कसडोल ब्लॉक, बलोदा बाजार जिला, छत्तीसगढ़ की दास्तान

कोविड19 के चलते लॉकडाउन के बीच 18 मई को वन विभाग ने उस जमीन की घेराबंदी शुरू की जिस पर कानूनन समुदायों को वनाधिकार हासिल है। यह सब प्रतिपूरक वनीकरण के नाम पर किया गया। इससे आदिवासी और दलित समुदायों की उन तक पहुँच बाधित हुई जो वनाधिकार कानून का सीधा उल्लंघन है। इस साल महुआ और तेंदू-जैसे लघु वनोपजों के संग्रह में ऐसे ही देरी हो चुकी है। ऐसे में घेराबंदी के कारण समुदायों को और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।

रिदिका मलिक, दरिंगबादी ब्लॉक, कंधमाल जिला, ओडिशा की दास्तान

वन विभाग ने 27 मई को 12 एकड़ में फैले हमारे पहाड़ों और जंगलों को प्रतिपूरक वनीकरण के मकसद से साफ कर दिया। हम पुश्तों से उस जंगल में खेतीबाड़ी कर रहे थे और अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण कर रहे थे। हम आम तौर पर पत्तों के प्लेट बनाते थे और उन्हें बाजार में बेचते थे। अब यह सब बंद हो गया। लॉकडाउन के दौरान हमें कोई काम नहीं मिला। इस दौरान वन विभाग ने हमारे जंगलों को ही साफ कर दिया है। हम जिंदा कैसे रहेंगे, क्या खाएँगे?

छपे समाचार :

- पीपुल इन एचपीज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पेटीशन अगेंस्ट एक्सपैंशन ऑफ कशांग हाइड्रो प्रोजेक्ट एमिड इको कंसर्न्स.
- रेड फ्लैग्स ओवर सेंटर्स ड्राफ्ट ईआईए नोटिफिकेशन
- नो कोविड-19 रेस्पॉन्स प्लान फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज इन "सेल्फ-रिलायंट" इंडिया पैकेज
- ट्राइबल ग्रुप्स अघास्ट विथ नो मेंशन ऑफ रिलीफ फॉर आदिवासीज इन पीएम्स आत्मनिर्भर भारत
- ट्रांसफर सीए फंड्स टू ग्राम सभाज, ट्राइबल राईट्स ग्रुप्स डिमांड
- युटिलाइजेशन ऑफ कंट्रोवर्शियल कैंपा फंड्स इज ओल्ड स्कीम नॉट कोविड19 पैकेज : ट्राइबल राईट्स एक्सपर्ट्स
- लैंड बैंक्स टू हेल्प इकोनॉमी पोस्ट लॉकडाउन कुड थ्रेटेन पुअर कम्युनिटीज
- एनवायरनमेंटलिस्ट्स अपोज्ड कोल माइनिंग इन सलेकी ऑफ डेहिंग पटकाई एलिफैंट रिजर्व
- ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट्स डाउन ट्रैडिशनल ट्रीज, डिस्ट्रॉयज लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट वर्कर्स
- विल्डरनेश कंजर्वेशन एंड ए फ्लॉड इमेजिनेशन ऑफ नेचर
- डिंडौरी और मंडला में बनेंगी 3 जल विद्युत परियोजनायें, विस्थापित होंगे सैकड़ो गांव

आबोहवा में बदलाव और कोविड19

प्रदीप चटर्जी, दिशा, सुंदरवन. पश्चिम बंगाल

सुंदरवन में हर शहद संग्राहकर्ता मछुआरा भी है, हालाँकि हर मछुआरा शहद संग्रहकर्ता नहीं है। मछली मारने का सबसे उम्दा मौसम अक्टूबर-फरवरी का महीना है और साल के बाकी के समय में मछुआरे समुदाय के लोग अपनी पकड़ी मछलियों को सुखाते हैं और शहद जमा करते हैं। यहाँ वनाधिकार मछुआरों के मछलीपालन के अधिकार से जुड़े हैं। सुंदरवन जो एक प्रो-ग्रेडिंग उपत्यका है जहाँ मैनग्रोव की प्रचुरता है, इसलिए मछलियों की भरमार है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। नदी के किनारों पर बसे मैनग्रोव के खत्म होते जाने से लोग टाइगर रिजर्व के भीतरी इलाकों में आते जा रहे हैं ताकि वे मछली पकड़ सकें। इससे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ती है।

सुंदरवन के मछुआरे और छोटे-मोटे मछलीपालक परेशान हैं। बड़े मछलीमारों पर असर नहीं पड़ा है क्योंकि लॉकडाउन ऐसे समय में शुरू हुआ जब सालाना अंडशेचन के मौसम (15 अप्रैल – 15 जून) के कारण मछली मारने पर ऐसे ही रोक लगी थी और इन बड़े मालिकों ने तेल पर कोई खर्च (जिसपर पहले से ही रियायत मिलती थी) नहीं किया और न ही मजदूरों को कोई मजदूरी दी। इसलिए छोटे-छोटे मछुआरा समुदायों पर ही असर पड़ा। वे ज्यादातर अनुसूचित जातियों के हैं और परंपरागत रूप से छोटे-मोटे अंदरूनी मछलीमारक हैं। वे बिना आय या भोजन के बंदरगाहों पर उपेक्षित पड़े रहे। हम इन छोटे मछलीमारों और मजदूरों के हर परिवार को 15,000 प्रतिमाह दिए जाने की माँग कर रहे हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन के बाद मछली उद्योग की बहाली और छोटे मछुआरों के पक्ष में कानून बनाने की भी माँग कर रहे हैं।

जब लोग कोविड19 से निपटने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय बंगाल की खाड़ी में अंफन चक्रवात शुरू हो गया। आबोहवा में परिवर्तन के कारण चक्रवातों का उठना और उनकी तीव्रता में इजाफा आम हो गया है। आइला चक्रवात के कारण बहुत से जंगल निवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा और रोजागर की तलाश करनी पड़ी। अंफन चक्रवात के असर का पूरा आकलन अभी बाकी है। हालाँकि आबोहवा में परिवर्तन के आलोक में हम सरकार से चक्रवात-रोधी आवास नीति (आवास, आजीविका आदि) बनाने की माँग कर रहे हैं। इसके साथ ही हम सरकार से आबोहवा सम्यक आजीविका बहाली प्रस्ताव तैयार करने की भी माँग कर रहे हैं जिसमें मछलीमार नौकाओं और जाल की बीमा का भी प्रावधान हो।

छपे समाचार :

- ट्राइबल कम्युनिटीज इन ओडिशा लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड साइक्लोन
- ओवर-कंजंप्शन अंडरलाइंस साइक्लोन अंफन एंड कोविड19
- एवरीथिंग गॉन : सुंदरवन्स स्टेयर्स एट ब्लीक फ्यूचर, फ्रेश वेव ऑफ माइग्रेशन
- ग्रीनिंग ए डेजर्ट इनवाइट्स लोकस्ट स्टार्म्स

छपे समाचार :

- गढ़चिरोली कलेक्टर फ्रीजेज एकाउंट्स ऑफ 19 ग्राम सभाज
- गढ़चिरोली: द 19 ग्राम सभाज इन कोरची एंड कुरखेदा ब्लॉक विल बी स्टार्टेड
- टू हेल्प कंजर्व प्रेसियस बायोडाइवर्सिटी, इंडिया नीड्स टू एंपावर इट्स फॉरेस्ट-ड्वेलिंग पॉपुलेशन

राहू ग्राम सभा में औरतें जल परियोजना का संचालन करती हैं यह घोषित करता बोर्ड

इस साल बाँस की उपज के बारे में चर्चा करती राहू गाँव की ग्राम सभा

लाइव

वन अधिकारों पर भूपेश सरकार का यू-टर्न, वन विभाग अब करेगा सिर्फ समन्वय

ForestRightsAct

CovidAndForestRights

ग्राम सभा की स्वायत्तता का उल्लंघन

पूर्णिमा उपाध्याय, खोज, अमरावती जिला, महाराष्ट्र

अमरावती जिला में वापस लौटनेवाले प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा ही काम का एकमात्र स्रोत है। हम लोग इस बात का अथक प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें हर दिन समुचित काम मिलता रहे। इसके अलावा लॉकडाउन ऐसे समय आया है जब लघु वनोपजों के संग्रह का समय शुरू है, हालाँकि कोई खरीदार नहीं है। ग्राम सभाएँ सरकार से मदद की गुहार कर रही हैं कि वह ग्राम सभाओं से लघु वनोपजों की खरीद की गारंटी करे। 26 मई को राज्य सरकार ने मेलघाट आदेश जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया कि ग्राम पंचायतों के जरिए ग्राम सभाओं को धन आवंटित किया जाए जबकि एफआरए और पेसा के मुताबिक सीधे ग्राम सभाओं को संसाधन देना तय है। हम लगातार देखते हैं कि सरकारें किस तरह ग्राम सभाओं की स्वायत्तता काा हनन करती हैं। यह इलाका सूखाग्रस्त इलाका है और फिलहाल भयंकर पानी की किल्लत से जूझ रहा है। पानी का मुद्दा और गंभीर हो गया है क्योंकि निर्णय का हक ग्राम सभाओं को नहीं दिया गया है। दरअसल पूरे इलाके में पानी की उपलब्धता का लेखा-जोखा किया जाना चाहिए। यह काम ग्राम सभाएँ बेहतर तरीके से कर सकती हैं। इससे यह पता चलेगा कि ठेकेदारों ने जल परियोजनाओं पर कितना खर्च किया और समुदायों को कितना फायदा हुआ।

अगर पड़ोस के गढ़चिरोली जिले की बात करें तो जिला कलेक्टर ने 19 ग्राम सभाओं के बैंक खातों के परिचालन पर रोक लगा दी। आरोप यह था कि उन्होंने बिजली वितरण टावर लगाने के लिए मिली क्षतिपूर्ति का दुरुपयोग किया है। यह स्पष्टतया ग्राम सभाओं के हक में दखलंदाजी का मामला है, जो ऐसे भी
कोरोना महामारी के बीच लघु वनोपजों के संग्रह की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उन्हें लगभग 150 किलोमीटर दूर कलेक्टर के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ रही है। जब हममें से कई लोगों ने लिखित शिकायत की और महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया तो बैंक खातों को खोला गया। सरकार ने कलेक्टर के इस कदम को "नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ" माना और कहा कि ग्राम सभाएँ पूरी तरह वनाधिकार कानून के मुताबिक काम कर रही थीं।

पेविहिर और राहू-जैसे गाँवों में जहाँ सामुदायिक वनाधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त हैं, वहाँ के लोग बाहरी लोगों के दबदबे पर अंकुश लगाने में सौ प्रतिशत मुतमइन हैं। एक निर्णयकर्ता के रूप में वहाँ की ग्राम सभा पूरी तरह आश्वस्त है। समुदायों के स्वामित्व की स्वीकृति ग्राम सभा के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कारक बन जाता है। असल में एनजीओ भी दबाव बनाने में मदद कर सकते हैं और एफआरए,पेसा, मनरेगा और अन्य तरक्कीयाफ्ता कानूनों को लागू करवाने में सहायता कर सकते हैं। सिर्फ ग्राम सभा के सदस्य, इलाके के बाशिंदे ही अंशधारक हैं और वे ही अपनी जिंदगी और जंगलों के बारे में कोई फैसला ले सकते हैं।